राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

60वीं बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2017 से संबंधित कार्य बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	**राज्या सरकार से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण :**	
	क) बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध **"भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार"** अंकित करने से संबंधित सॉफ्टनवेयर को एन.आई.सी. के सहयोग से शीघ्र तैयार कराया जाना है, जिसके पूर्व राजस्वत विभाग द्वारा एन.आई.सी. तथा बैंकर्स की मीटिंग कर सभी तकनीकी पहलुओं पर स्थिति स्पटष्ट कर ली जाए।	**क) इस विषयक अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यपक्षता में दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को राजस्वा विभाग, एन.आई.सी. तथा प्रमुख बैंकों की बैठक कर सभी तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गयी तथा सभी स्त र से प्राप्तप सुझावों पर संबंधित सॉफ्टावेयर में आवश्य्क संशोधन हेतु एन.आई.सी. के स्तूर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।**
	ख) बैंकों द्वारा **"वसूली प्रमाण पत्र"** को ऑन-लाइन फाइलिंग करने से संबंधित सॉफ्टीवेयर को एन.आई.सी. द्वारा शीघ्र तैयार कराया जाना है, जिसके पूर्व राजस्वद विभाग द्वारा एन.आई.सी. तथा बैंकर्स की मीटिंग कर सभी तकनीकी पहलुओं पर स्थिति स्पगष्टी कर ली जाए।	**ख) इस विषयक अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन की अध्यिक्षता में दिनांक 21 अप्रैल, 2017 को राजस्वम विभाग, एन.आई.सी. तथा प्रमुख बैंकों की बैठक कर सभी तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की गयी। इसी क्रम में दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को संबंधित विभागों के साथ तीन प्रमुख बैंकों (एस.बी.आई., पी.एन.बी. एवं बी.ओ.बी.) द्वारा सैम्पथल आधार पर कुछ आर.सी. ऑन-लाइन फीड की गयी, जिसका एन.आई.सी. द्वारा अंतिम स्तीर तक परीक्षण प्रक्रियाधीन है। सभी स्तनर से प्राप्त् सुझावों के अनुरूप संबंधित सॉफ्टनवेयर में आवश्योक संशोधन हेतु एन.आई.सी. के स्त र पर वांछित कार्रवाई की जानी है।**
	ग) ₹ 5.00 लाख तक के बैंक कृषि ऋणों हेतु स्टॉ)म्पस शुल्कट पर छूट से संबंधित अधिसूचना को शीघ्र जारी कराया जाना है ।	**ग) इस संबंध में उत्तराखंड शासन द्वारा वांछित अधिसूचना जारी कर दी गयी है, जिसे राज्यत स्तचरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समस्तत बैंक नियंत्रकों / अग्रणी जिला प्रबंधकों को अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया है।**

	घ) शासन द्वारा टिहरी जिले में आरसेटी संस्थारन के लिए भवन निर्माण हेतु आबंटित भूमि को निर्माण के लिए विकसित करने की लागत अधिक होने के कारण भूमि परिवर्तन हेतु समुचित कार्रवाई की जानी है। रुद्रप्रयाग एवं चम्पातवत जिले में आरसेटी संस्था न हेतु चयनि भूमि, जो ग्राम्यी विकास विभाग को हस्तांनतरित कर दी गयी है, उसे यथाशीघ्र जिला स्त र पर संबंधित आरसेटी संस्थारओं को उपलब्ध् कराने की व्यतवस्था् की जाए। विभिन्नं आरसेटी संस्थातनों में **बी.पी.एल.** अभ्य र्थियों के प्रशिक्षण पर किए गए खर्चों की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है। अत: लम्बित धनराशि की प्रतिपूर्ति यथाशीघ्र करायी जाए।	**घ) राज्य् स्तमरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा टिहरी जिले में आरसेटी संस्थाधन के लिए आबंटित भूमि में परिवर्तन हेतु सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है। रुद्रप्रयाग तथा चम्पाधवत जिले में आरसेटी संस्थारन हेतु चयनित भूमि, संबंधित संस्थासन और ग्राम्यत विकास विभाग के मध्यध क्रमश: दिनांक 28 फरवरी, 2017 तथा 16 मार्च, 2017 को MoU हस्ता क्षरित कर संस्थातन को हस्तां0तरित कर दी गयी है।** **आरसेटी संस्था ानों को निर्देशित किया गया है कि बी.पी.एल. अभ्यायर्थियों पर किए गए प्रशिक्षण व्यीय की प्रतिपूर्ति हेतु ग्राम्य विकास विभाग से समुचित कार्यवाही करें।**
2	**बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधक हेतु कार्य बिंदु का विवरण :** **क)** समस्तग बैंक तथा अग्रणी जिला प्रबंधक सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्नप ऋण योजनाओं के अंतर्गत लम्बित समस्त् आवेदन पत्रों का निस्ता्रण दिनांक **15 मार्च, 2017** तक करना सुनिश्चित करें। पी.एम.ई.जी.पी. योजनांतर्गत प्राप्तत आवेदन पत्रों का ऑन-लाइन निस्तातरण अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। **ख)** प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सभी बैंक विशेष कार्ययोजना बनाकर वितीय वर्ष की समाप्ति तक उन्हें् आबंटित लक्ष्यों‍ष की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।	**क) समस्ते संबंधित बैंक नियंत्रकों द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी शाखाओं को विभिन्ना ऋण योजनाओं के अंतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का निस्ता ोरण कर दिया गया है।** **ख) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी बैंकों ने विशेष कार्ययोजना बनाकर निम्नतवत् प्रगति दर्ज की है।**

	खातों की संख्याक	ऋण राशि (रु. लाखों में)
शिशु	36819	9415.58
किशोर	20695	46220.51
तरुण	4351	32540.74
योग	61865	88176.83

	ग) सभी बैंक स्टै ण्डक अप इण्डिया योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येोक बैंक शाखा हेतु निर्धारित कम से कम एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यअक्ति को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें। **घ)** कनेक्टिविटी रहित **933** एस.एस.ए. में वी.-सैट स्था पित करने के कार्य को संबंधित बैंकों द्वारा दिनांक **31 मार्च, 2017** तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। **ङ)** सभी बैंक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में शत प्रतिशत आधार एवं मोबाइल सीडिंग तथा रू-पे डेबिट कार्ड और पिन मेलर जारी कर उन्हें् सक्रिय कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला स्त र पर ग्राम्य विकास विभाग से समन्वथय स्थाापित कर समस्त मनरेगा कर्मियों के खातों में **31 मार्च, 2017** तक शत प्रतिशत आधार सीडिंग के कार्य को पूरा करें। **च)** समस्तत बैंक एम.एस.एम.ई. सेक्ट र के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर अधिकाधिक ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। सभी बैंक त्रैमासिक आधार पर उनकी शाखाओं में प्राप्तस, स्वीमकृत, निरस्त एवं लम्बित ऋण आवेदन पत्र की संख्या से संबंधित डाटा राज्यव स्तकरीय बैंक समिति, उत्तराखंड को त्रैमास समाप्ति के 15 दिनों के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। **छ)** समस्ततबैंक सभी जारी किसान क्रेडिट कार्ड को रु-पे के.सी.सी. कार्ड में परिवर्तित करना सुनिश्चित करें। **ज)** निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात दिसम्बैर, 2016 त्रैमास की समाप्ति पर **30 प्रतिशत** से कम रहा है।	**ग) स्टैकण्डे अप इण्डिया योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति तक 444 महिलाओं तथा 91 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग को रु. 114.70 करोड़ के ऋण वितरित किए गए हैं।** **घ) बैंकों से प्राप्तए विवरण के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक कनेक्टिविटी रहित 933 एस.एस.ए. में से 352 में वी.-सैट स्था पित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।** **ङ) बैंकों द्वारा उपलब्धट कराए गए आँक़ड़ों के आधार पर अब तक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए 21,54,013 खातों में निम्नतवत् आधार एवं मोबाइल सीडिंग तथा रू-पे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं :** **योजना** — **अद्यतन आँकड़े** आधार सीडिंग — 12,66,662 मोबाइल सीडिंग — 14,86,874 जारी रु-पे कार्ड — 18,07,651 **च) बैंक नियंत्रकों द्वारा अवगत कराया गया है कि एम.एस.एम.ई. सेक्टकर में अधिकाधिक ऋण वितरण हेतु उनके द्वारा अपनी शाखाओं को समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।** **छ) विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्धक कराए गए आँकड़ों के अनुसार अब तक 5,16,967 के.सी.सी. में से 3,38,911 रु-पे के.सी.सी कार्ड में परिवर्तित किए जा चुके हैं।** **ज) संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए सभी**

	<table><tr><th>जिला</th><th>दिसम्ब र, 2016</th></tr><tr><td>पौड़ी</td><td>22%</td></tr><tr><td>अल्मोबड़ा</td><td>20%</td></tr><tr><td>पिथौरागढ़</td><td>29%</td></tr><tr><td>चमोली</td><td>27%</td></tr><tr><td>रुद्रप्रयाग</td><td>21%</td></tr><tr><td>चम्पापवत</td><td>27%</td></tr><tr><td>बागेश्वरर</td><td>27%</td></tr></table> संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक विभिन्नं विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से कार्ययोजना तैयार कर इसमें अपेक्षित वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करें।	**बैंकों / शाखाओं को अधिकाधिक ऋण वितरण हेतु समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।**
3	**नाबार्ड एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों हेतु कार्य बिंदु :** **क)** किसानों की आय दोगुना करने को दृष्टिगत रखते हुए नाबार्ड द्वारा आगामी वर्षों की **"पोटेन्शियल लिंक प्ला न"** तथा समस्तक अग्रणी जिला प्रबंधक जिले से संबंधित "वार्षिक ऋण योजना" को क्षेत्र विशेष की संभाव्य ता को केंद्रित रखकर तैयार करें। **ख)** नाबार्ड किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने संबंधी भारत सरकार से जारी दिशानिर्देश शासन को उपलब्धक कराएं।	**अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा नाबार्ड द्वारा तैयार "पोटेन्शियल लिंक प्ला न" के आधार पर क्षेत्र विशेष की संभाव्यलता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने को केंद्रित कर वार्षिक ऋण योजना तैयार की गयी है।**
4	सभी बैंक नियंत्रक, 31 मार्च, 2017 की **त्रैमासिक एस .एल.बी.सी. विवरणी 1-49** पूर्णत: जाँच करने के उपरांत सही एवं वास्ततविक आँकड़े, दिनांक **15 अप्रैल, 2017** तक एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर ऑन-लाइन प्रेषण करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक)**	**बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा 24 अप्रैल, 2017 तक प्रेषित की गयी।**

****